1CC43
29-6-88

संख्या 2253/चालीस-2-87-19(1)/80

प्रेषक,

श्री सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी,
कैसरबाग, लखनऊ ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 28 जून, 1988

विषय :- उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ के अधीन अस्थायी पदों का स्थायीकर

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4531/चालीस-2-87-19(1)/80, दिनांक 5 दिसम्बर, 1987 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखि अस्थायी पदों को दिनांक 1 अप्रैल, 1987 से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मँहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हों, भी दे होंगें ।

3- उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय, आय-व्ययक के अनुदान संख्या-52 लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-05-भाषा विकास-102-आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन-आयोजनेतर-01-प्रदेश में उर्दू का विकास एवं 5 -14-सहायक अनुदान" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

4- प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय ज्ञा संख्या ए-2-797/दस-87-24(12)/86, दिनांक 25 मई, 1987 में निहित शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

(handwritten marginal notes: 29.6.88; 29/6/88)

भवदीय,

(सिद्धार्थ बेहुरा)
(सिद्धार्थ बेहुरा)
विशेष सचिव

संख्या 2253(1)/चालीस-2-87-19(1)/80

प्रतिलिपि, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11 को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(राम कृष्ण वर्मा)
उप सचिव ।

शासनादेश संख्या 2253/चालीस-2-87-19(11)/80, दिनाँक 28 जून, 1988 द्वारा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में दिनाँक 1 अप्रैल, 1987 से स्थायी किये गये पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनाँक जिसमें पद मलरूम में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनाँक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1-	शिक्षा सम्पर्क अधिकारी	दो	रु0 622-18-640-20-740-द0रो0-25-865-द0रो0-25-940	संख्या 2423/चालीस-2-19(24)/82, दिनाँक 25 जून, 1984	शासकीय पदों की तरह अकादमी के पदों के लिये प्रशासकीय विभाग द्वारा वर्षानुवर्ष निरन्तरता की स्वीकृति नहीं दी जाती है।	
2-	कैटेलागर	तीन	रु0 470-15-575-द0रो0 15-650-17-701-द0रो0 -17-735	-- तदैव --	-- तदैव --	

रामवर्मा

(राम कृष्ण वर्मा)
उप सचिव,
राष्ट्रीय एकीकरण विभाग